न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 152/2019

छोटूराम पुत्र बजरंग लाल जाति माली निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू ।

वादी

बनाम

1. हरिराम पुत्र रेखाराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.) मृतक

1/1. भगोती पुत्री हरिराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

1/2. सत्यनारायण दत्तक पुत्र हरिराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

2. मेघराम पुत्र रेखाराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.) मृतक

2/1. पुर्णाराम पुत्र मेघाराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

2/2. ओमप्रकाश पुत्र मेघाराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

3. बुधराम पुत्र सांवरमल पुत्र स्व. देबूराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

4. रामोतार पुत्र सांवरमल पुत्र स्व. देबूराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

5. कैलाश पुत्र सांवरमल पुत्र स्व. देबूराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)नत्थूराम पुत्र बजरंगलाल जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

6/1. पवन पुत्र नत्थूराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

6/2. लीलाधर पुत्र नत्थूराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

6/3. अरविन्द पुत्र नत्थूराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

6/4. उपमन्द्र पुत्र नत्थूराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

6/5. अमिता पुत्री नत्थूराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.

6/6. संगीता पुत्री नत्थूराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

6/7. लोकेश पुत्र नत्थूराम जाति सैनी निवासी मण्डावा हाल बाजीसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.

7. शीशराम पुत्र बजरंगलाल पुत्र स्व. रेखाराम जाति सैनी निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

8.गिरधारीलाल पुत्र स्व. मालाराम जाति सैनी निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
8/1 विमला देवी पत्नी गिरधारीलाल
8/2 महेन्द्र कुमार पुत्र गिरधारीलाल
8/3 दीपिका पुत्री गिरधारीलाल
8/4 पिंकी पुत्री गिरधारीलाल
8/5 सुधा पुत्री गिरधारीलाल
8/6 सरीता पुत्री गिरधारीलाल
समस्त जातिगण माली निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू ।
9 राजकुमार पुत्र महादेव जाति सैनी निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
10 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रतिवादी

दिनांक 06.02.2025

दावा घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि गत खसरा नंबर 709 रकबा 12 बीगा 12 विश्वा, खतरा नंबर 705 रकबा 15 बीघा ३ विश्वा खतरा नंबर 707 रकबा 7 बीघा 3 विश्या, पुख्ता कुल रकबा 34 बीघा 18 बिश्वा जिसके हाल ख. नंबर 1700 रकबा ३–०० हेक्टर खसरा नंबर 1701 रख्बा 0–18 हेक्टर, खसरा न. 1705 रक्षा 1.20 हेक्टर, खतरा न. 1706 रकबा 2.63 हेक्टर, खसरा नंबर 1708 रकबा 0–15 हेक्टर, खसरा नंबर 1709 रकबा 1.66 हैक्टर कुल रकबा 8.82 हेक्टर कस्बा मण्डावा तहसील व जिला झुंझूने मे अवस्थित है।कस्बा मण्डावा में एक व्यक्ति रेखाराम पुत्र दूशाराम हुए । उत्त आराजियात उक्त रेखाराम को खातेदारी व कब्जा काश्त की रही । उक्त रेखाराम के 6 पुत्र देवराम, बजरंगलाल, मालाराम, हरीराम, महादेव तथा मेघाराम हुए। उक्त रेखाराम की उक्त आराजियात की खातेदारी उसके पुत्रो को उत्तराधिकार में मिली। उक्त देबूराम बजरंगलाल, मालाराम व महादेव को मृत्यु हो चुकी है। तथा हरीराम व मेघाराम जीवित है। हरीराम दावा मे प्रतिवादी न०। तथा मेघाराम प्रतिवादी नंबर 2 है। उक्त देवराम व बजरंगलाल की मृत्यु होने पर इंतकाल नंबर 687 भरा गया जिसमे देवराम के एक मात्र पुत्र सांवरमल के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश हुआ । उक्त सावरमल का भी देहान्त हो चुका है तथा उसके पुत्र दुधराम, रामोतार व कैलाश है जो दावा मे क्रमश प्रतिवादी संख्या 3,4,5, दर्ज किये गये है। उत्त इंतकाल संख्या 687 में बजरंगलाल का वारिस नथूराम दर्ज किया गया है।उक्त बजरंगलाल के नथुराम नाम का कोई पुत्र नहीं है। नथूराम का नाम स्कूल व नौकरी अन्य राशनकार्ड, मतदाता सूचीमें नाम कन्हैयालाल दर्ज है । साथ ही उक्त बजरंगलाल के 03 पुत्र है प्रतिवादी संख्या 6 नथूराम उर्फ कन्हैयालाल के अलावा वादी छोटूराम व प्रतिवादी संख्या 7 शीशराम हाल निवासी बाजीसर भी उक्त बजरंगलाल के पुत्र है तथा उक्त आराजियात की खातेदारी व कब्जा काश्त विरासत में मिला है। मालाराम की मृत्यु हो चुकी है। तथा उसके पुत्र गिरधारी को प्रतिवादी सख्या 8 बनाया गया है। उक्त महादेव की मृत्यु होने से उसके पुत्र राजकुमार को प्रतिवादी संख्या 9 बनाया गया है। उक्त आराजियात वादी व प्रतियादी संख्या 01 लगायत09 को विरासत में मिली है तथा कब्जा काश्त व खातेदारी की है। उक्त बजरंगलाल पुत्र रेखाराम का उक्त आराजियात मे 1/6 हिस्सा था और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र वादी छोटूराम व प्रतिवादी त० 6 नथूराम उर्फ कन्हैयालाल तथा प्रतिवादी 7 शीशराम हाल निवासी बाजीसर का 6 हिस्सा रहा। इस प्रकार कुल आराजियात मे 1/6 हिस्सा तथा उक्त बजरंगलाल के 1/6 हिस्से मे प्रत्येक का 1/18, 1/18 हिस्सा रहा तथा है और कब्जा काश्त है। उक्त इंतकाल तंख्या 687 में नथूराम उर्फ कन्हैयालाल का अकेले का नाम बिना जाँच किये रेवेन्यू एजेन्सी ने गलतं दर्ज किया है। वादी छोटूराम अपने हिस्से की भूमि पर उन्नत किस्म की खेती करने के लिए सरकार द्वारा पलाई जा रही विभिन्न योजनाओ मे लोन लेना चाहता

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

है इसीलिए उक्त विवादित भूमि की खातेदारी की नकल प्राप्त करने के लिए नकल का आवेदन पत्र माह अक्टूबर 2013 में पेशा किया । नकल मिलने पर पता चला कि वादी व उसके भाई शिशाराम प्रतिवादी नंबर 7 का नाम रेवेन्यू रिकाडगे दर्ज नही है। तथा इनके भाई कन्हैयाताल का नाम नथूराम दर्ज है। उक्त नथूराम को उक्त बजरंगलाल के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज किया है जो गलत दर्ज किया है तथा उक्त इंतकाल गलत भरा गया है। उक्त आराजियात का रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्त कराने के लिए तथा कुल आराजियात मे वादी, प्रतिवादी सख्या 6 व 7 का नाम 1/6 हिस्सा मे दर्ज कराने के लिए तथा उक्त बजरंगलाल के 1/6 हिस्से मे प्रत्येक का 1/18, 1/18 हिस्सा दर्ज कराकर खातेदार काश्त कार घोषित कराने के लिएयह दावा करना आवश्यक हुआ है। सिद्धि– दावा मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रतिलिपि दावा पेशा कर निवेदन है कि –वाद वादी खिलाफ प्रतिवादी गण डिक्री किया जाकर वादी छोटूराम प्रतिवादी संख्या 6 नथूराम उर्फ कन्हैयालाल व प्रतिवादी संख्या 7 शिशाराम पुत्र बजरंगलाल को वाद पत्र की धारा 01 मे वर्णित आराज्यात का 1/6 हिस्से मे प्रत्येक 1/18, 1/18 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये कोर्ट नोटिस से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/2, 2/1,2/2, 03 लगायत 05, 8/1 से 8/6, 09, 10 बाद तामिल के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा न ही कोई उजर ऐतराज पेश नहीं किया । इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी न0 6/1 लगायत 6/7 एवं 07 की ओर से अभिभाषक उपस्थित तथा जबाब दावा पेश नही करने पर इनकी जबाब देही बन्द होगी।

वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र पेश प्रस्तुत दस्तावेत प्रर्दश–1 जमाबन्दी 2032–2035,प्रदर्श–2 जमाबन्दी 2041–44, प्रर्दश–3 नामान्तरण संख्या 687, प्रर्दश–4 मिलानक्षेत्र, प्रर्दश –5 जमाबन्दी सम्वत 2061, पेश किये गये।

विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि में वादी छोटूराम प्रतिवादी संख्या 6 नथूराम उर्फ कन्हैयालाल व प्रतिवादी संख्या 7 शिशाराम पुत्र बजरंगलाल को वाद पत्र की धारा 01 मे वर्णित आराज्यात का 1/6 हिस्से मे प्रत्येक 1/18, 1/18 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

विधि में भूमि की धोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा धारा 88 में अधिकारों की धोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में पूर्व खातेदार बजरंगलाल का फौतगी नामान्तरण नथूराम के नाम भरा गया है। वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में आधार पर उक्त पूर्व खातेदार बजरंगलाल के तीन पुत्र है। जो वादी प्रतिवादी न0 06, एवं प्रतिवादी संख्या 07 है। जबकी फौतगी नामान्तरकरण संख्या 687 केवल मात्र नथूराम के नाम से तस्दीक हुआ है। ऐसी स्थिती में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

निर्णय

अतः वाद वादी से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मण्डावा की जमीन खं.नं. 1700 रकबा 3.00 हैक्टर, ख.न. 1701 रकबा 0.18 हैक्टर,ख.न. 1705 रकबा 1.20 हैक्टर,ख.न. 1706 रकबा 2.63 हैक्टर,ख.न. 1708 रकबा 0.15 हैक्टर, ख.न. 1709 रकबा 1.66 हैक्टर में खातेदार नथू पुत्र बजरंगलाल (प्रतिवादी न0 6/1 लगायत 6/7 पिता) के 1/6 हिस्से को हजफ किया जाकर हजफ 1/6 हिस्से में वादी को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी न0 प्रतिवादी न0 6/1 लगायत 6/7 को 1/3 हिस्से व प्रतिवादी न0 07 को 1/3

हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी न0 6/1 लगायत 6/7 के पिता नाम नथू उर्फ कन्हैयालाल पढा जावें। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा।

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा घोषणार्थ एव रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 152/2019 खादीम हुसैन बनाम फारूख वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 06.02.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मण्डावा की जमीन खं.नं. 1700 रकबा 3.00 हैक्टर, ख.न. 1701 रकबा 0.18 हैक्टर,ख.न. 1705 रकबा 1.20 हैक्टर,ख.न. 1706 रकबा 2.63 हैक्टर,ख.न. 1708 रकबा 0.15 हैक्टर, ख.न. 1709 रकबा 1.66 हैक्टर में खातेदार नथू पुत्र बजंरगलाल (प्रतिवादी न0 6/1 लगायत 6/7 पिता) के 1/6 हिस्से को हजफ किया जाकर हजफ 1/6 हिस्से में वादी को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी न0 प्रतिवादी न0 6/1 लगायत 6/7 को 1/3 हिस्से व प्रतिवादी न0 07 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी न0 6/1 लगायत 6/7 के पिता नाम नथू उर्फ कन्हैयालाल पढा जावें।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.02.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा